

न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

शासन बनाम रफीक कुरैशी आदि
दाण्डिक प्रकीर्णवाद सं०-460/2025
सम्बन्धित फौजदारी वाद सं०-496/2012
मुकदमा अपराध संख्या-30/2007
धारा-379, 411 भा०दं०सं० व 3/5/8 गो०नि०
अधि० व 2/3 उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी
क्रियाकलाप निवारण अधिनियम
थाना-जायस जिला-रायबरेली(वर्तमान जिला अमेठी)।

दिनांक-03.06.2026

पत्रावली पेश हुई।

अभियुक्त रफीक कुरैशी के द्वारा रसीद सं०-0846574 से दिनांक 05.06.2025 को अर्थदण्ड जमा किया जा चुका है। अभियुक्त महफूज कुरैशी की मृत्यु दिनांक 18.06.2024 को हो चुकी है। कोई कार्यवाही शेष नहीं है।

पत्रावली निस्तारित की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।